



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 162461

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 26871 / 2026

रईस खान

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : आरिफ खान, लिहाजुर रहमान खान

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, राकेश कुमार मौर्य

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री निखिल कुमार ने आज न्यायालय में अपना वकालतनामा दाखिल किया, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक द्वारा दाखिल अनुपूरक शपथपत्र को भी अभिलेख पर लिया जाता है।
3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आरिफ खान, सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री निखिल कुमार तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-प्रथम डॉ. एस.बी. मौर्य को सुना गया।
4. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 258/2026, धारा 191(2), 190, 103(1), 3(5) बी.एन.एस., थाना क्वार्सी, जनपद अलीगढ़ में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वयं मृतक द्वारा दिनांक 18.03.2026 को 21:24 बजे इस आरोप के साथ दर्ज कराई गई थी कि आवेदक तथा उसके भाइयों की मृतक से दुश्मनी थी और दिनांक 18.03.2026 को दोपहर 12:00 बजे उन्होंने पीछे की ओर से उसके सिर पर लाठी से प्रहार किया, जिसके कारण वह बेहोश हो गया। किंतु दो दिन बाद जब मृतक की मृत्यु हो गई, तब मामले को धारा 103(1) बी.एन.एस. के अंतर्गत परिवर्तित कर दिया गया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक के विरुद्ध लगाए गए संपूर्ण आरोप पूर्णतः असत्य हैं।

6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि मृतक की सह-अभियुक्त कादिर, जो आवेदक का भाई है, के साथ दुश्मनी थी और इससे यह परिलक्षित होता है कि केवल इसी कारण आवेदक को वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है।

7. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी पता चलता है कि मृतक को सिर पर केवल एक घातक चोट लगी थी तथा अन्य चोटें मामूली खरोंच/नील के रूप में थीं, जो उसके गिरने के दौरान लगी हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि आवेदक उक्त चोट का कारक था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ध्यान में रखने पर भी वर्तमान मामला धारा 105(II) बी.एन.एस.एस. से आगे नहीं जाता है।

8. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले के अतिरिक्त आवेदक का एक अन्य मामले में आपराधिक इतिहास है, किंतु उसके आपराधिक इतिहास की व्याख्या कर दी गई है और वह मामला भी मामूली अपराध से संबंधित है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में आवेदक दिनांक 30.03.2026 से जेल में निरुद्ध है।

9. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वयं मृतक द्वारा दर्ज कराई गई थी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक निर्दोष है। हालांकि, वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि मृतक को कुल चार चोटें लगी थीं, किंतु उनमें से तीन चोटें मामूली नील/खरोंच थीं और केवल एक चोट उसके सिर पर थी, जो कंट्यूजन (नील/कुचलने से उत्पन्न चोट) थी तथा घातक चोट थी। सभी अभियुक्तों, जो

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक के सगे भाई हैं, को सामान्य भूमिका सौंपी गई है और ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि आवेदक मृतक के सिर पर लगी चोट का कारक था।

10. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।

11. हालांकि, स्वयं मृतक द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट से यह परिलक्षित होता है कि आवेदक तथा उसके चार भाइयों ने उसके सिर पर लाठी से प्रहार किया था, किंतु प्रहार को दोहराए जाने का कोई आरोप नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी पता चलता है कि मृतक को सिर पर केवल एक चोट लगी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप तथा मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत यह तर्क कि वर्तमान मामला धारा 105(II) बी.एन.एस.एस. से आगे नहीं जाता है, इस स्तर पर नकारा नहीं जा सकता।

12. इसके अतिरिक्त, सभी अभियुक्तों को केवल सामान्य भूमिका सौंपी गई है तथा ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि मृतक को लगी सिर की चोट आवेदक द्वारा कारित की गई थी।

13. इसके अतिरिक्त, यह भी परिलक्षित होता है कि मृतक की सह-अभियुक्त कादिर, जो आवेदक का भाई है, के साथ दुश्मनी थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत यह तर्क कि आवेदक सह-अभियुक्त कादिर का भाई है और इसलिए उसे वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है, को भी इस स्तर पर नकारा नहीं जा सकता।

14. इसके अतिरिक्त, यद्यपि वर्तमान मामले के अलावा आवेदक का एक अन्य मामले में आपराधिक इतिहास है, किंतु उसके आपराधिक इतिहास की व्याख्या कर दी गई है और वह मामला मामूली अपराध से संबंधित है। वर्तमान मामले में आवेदक दिनांक 30.03.2026 से जेल में निरुद्ध है।

15. अतः ऊपर उल्लिखित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मेरी राय में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



16. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

17. आवेदक रईस खान को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक अथवा समाज-विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

18. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

19. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों तक सीमित हैं और केवल जमानत आवेदन के निस्तारण के संबंध में की गई हैं। उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

दिनांक : 4 अगस्त, 2026

ए.के. पाण्डेय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।